संख्या– /XV-3/2016-08(02)/2014

प्रेषक,

जी०बी० ओली,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 16 मई, 2016**

विषय– पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में वर्ष के प्रथम 04 माहों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–80/पर्व०म०ता०नि०यो०0/2016–17, दिनांक 23 अप्रैल, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजना (राज्य सैक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में वर्ष के प्रथम 04 माहों हेतु लेखानुदान से प्राविधानित कुल **रू० 16.67 लाख** की धनराशि के सापेक्ष **रू० 16.67 लाख (रू० सौलह लाख, सड़सठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31.03.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

क्रमशः.....2

6. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 04 जून, 2015 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीं।

7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जायेया।

8. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. **उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के भौतिक/वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने उपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय की जायेगी।**

10. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–15 में अनुदान संख्या–28 में लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन–00–आयोजनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–03–पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश के संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(जी०बी० ओली)
अपर सचिव

संख्या– 171 (1)/XV-3/2015-08(02)/2014,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

17. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
18. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार/उधमसिंहनगर को छोड़कर)।
20. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार/उधमसिंहनगर को छोड़कर)।
21. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
22. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
23. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव

क्रमशः.....3

शासनादेश सं०–/76 /XV-3/2016-08(02)/2014, दिनांक 06 मई, 2016 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष के प्रथम 04 माहों में लेखानुदान से प्राविधानित कुल **रू० 16.67 लाख** के सापेक्ष **रू० 16.67 लाख (रू० सौलह लाख, सड़सठ हजार मात्र) के सापेक्ष जनपदवार धनराशि का वितरण तथा भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण:–**

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०सं०	जनपद	तालाब निर्माण व निवेश	प्रचार प्रसार एवं साहित्य	कुल धनराशि
1.	उत्तरकाशी	1.50	0.00	1.50
2.	टिहरी	1.50	0.00	1.50
3.	चमोली	1.50	0.00	1.50
4.	रूद्रप्रयाग	1.50	0.00	1.50
5.	पौड़ी	1.50	0.00	1.50
6.	देहरादून	1.50	0.00	1.50
7.	पिथौरागढ़	1.50	0.00	1.50
8.	अल्मोड़ा	1.50	0.00	1.50
9.	बागेश्वर	1.50	0.00	1.50
10.	चम्पावत	1.50	0.00	1.50
11.	नैनीताल	1.50	0.00	1.50
12.	मत्स्य निदेशालय	0.00	0.17	0.17
	योग:–	**16.5**	**0.17**	**16.67**

भौतिक लक्ष्य:–

क्र०सं०	जनपद	पर्वतीय तालाब निर्माण (यूनिट 0.005 हैक्टेयर)	प्रचार– प्रसार एवं साहित्य वितरण
1.	उत्तरकाशी	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	**योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बन्धी साहित्य, बैनर, फलैक्स बैनर एवं अन्य की व्यवस्था**
2.	टिहरी	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
3.	चमोली	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
4.	रूद्रप्रयाग	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
5.	पौड़ी	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
6.	देहरादून	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
7.	पिथौरागढ़	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
8.	अल्मोड़ा	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
9.	बागेश्वर	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
10.	चम्पावत	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
11.	नैनीताल	06 यूनिट (0.030 हैक्टे.)	
	योग:–	**66 यूनिट (0.33 हैक्टे.)**	

(जी०बी० औली)
अपर सचिव